



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce and Industry
Government of India)

Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(बाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन. एच. बाइपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्चिन - 682 025, भारत

परिपत्र संख्या 5/2021-22

16 सितंबर, 2021

विषय : चीन गणराज्य द्वारा निर्धारित कीटनाशक अवशेषों की अधिकतम सीमा

भारतीय दूतावास, बीजिंग, चीन गणराज्य ने सूचित किया है कि सीमा शुल्क के सामान्य प्रशासन, चीन ने भारतीय अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि चीन को निर्यात किए जाने वाले जीरा की खेप चीन के मानकों और विनिर्देशों का अनुपालन करती है। तदनुसार, भारतीय दूतावास, बीजिंग ने चीन गणराज्य द्वारा निर्धारित कीटनाशक अवशेषों की अधिकतम सीमा साझा की है, जो नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

Sl.No.	Pesticide / Chemical	Chinese Standard Limits (Implemented on September 3, 2021)
1	Carbofuran buthion	0.07 mg/kg
2	Chlorpyrifos	1 mg/kg
3	Carbendazim	0.3 mg/kg
4	Cyhalothrin and beta cyhalothrin	0.03 mg/kg
5	Cypermethrin and beta cypermethrin	0.05 mg/kg
6	Malathion	1 mg/kg
7	B mixed phosphorus	0.05 mg/kg
8	Acetyl methamidophos	0.2 mg/kg
9	Propyl bromophosphorus	5 mg/kg

मसालों और मसाला उत्पादों के सभी निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे चीन गणराज्य को जीरा निर्यात करते समय कीटनाशक अवशेषों की अधिकतम सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करें और उचित सावधानी बरतें।

(ह.)

निदेशक(विपणन)

सेवा में,

मसालों और मसाला उत्पादों के सभी निर्यातक